उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

बंदोवस्ती कैंसीलेशन नं0-04/2015-16

अंचल अधिकारी, पथरगामा

बनाम्

मसुदन महतो

-: आदेश :-

दिनांक 12/07/...

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मौजा–परसापानी थाना नं0–430 कि गैरमजरूआ खाता नं0–104 के अंदर दाग नं0–2391 एवं 2140 के अंदर रकवा 03–11–14 धुर जमीन बंदोवस्ती केश नं0–06/1965–66 के द्वारा गिरधारी महतो, पे0–उस्तम महतो, सा0–परसापानी, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अनुशंसा किया है।

विपक्षी से कारण पृच्छा की माँग की गयी। विपक्षी से कारण–पृच्छा प्राप्त है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–परसपानी के गैरमजरूआ खाता नं0–104 के दाग नं0–2391 रकवा 60–09–02 धुर एवं दाग नं0–2140 रवका 13–05–07 धुर जमीन गत सर्वे खतियान में परती कदीम कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत रकवा 03–11–14 धुर जमीन की बेदोवस्ती, बंदोवस्ती केश नं0–06/1965–66 द्वारा गिरधारी महतो, पे0–उस्तम महतो, सा0–परसपानी के साथ की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदन के आधार पर अपने आदेश में दो कारण देते हुए बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुशंसा किया है। पहला कारण बंदोवस्ती की तिथि से अवतक का एक भी लगान रसीद दाखिल नहीं किया है। दुसरा कारण वर्तमान तसदीक सर्वे का कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। यह दोनों कारण भी श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है। क्योंकि विपक्षी के पिता गिरधारी महतो का नाम वर्तमान तसदीक सर्वे खतियान में दर्ज है तथा विपक्षी के पास वर्ष 2012 तक का लगान रसीद है। उनका आगे कथन है कि बंदोवस्ती के बाद से विपक्षी बंदोवस्ती जमीन का लगान देकर लगान रसीद ले रहा है तथा बंदोवस्ती के बाद से विपक्षी

उस जमीन पर लगातार खेती करते आ रहें हैं। बंदोवस्ती जमीन पर खेती के लिए कुँआ भी खोदवाया है तथा बंदोवस्ती जमीन पर शीशम, सागवान, कटहल वगैरह का वृक्ष भी लगाया है। 69 वर्षों से विपक्षी के पिता एवं विपक्षी बंदोवस्ती वाली जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं, जिससे विपक्षी का बंदोवस्तीवाली जमीन पर दखल कब्जा एवं हक समाहित हो गया है। उनका कथन है कि श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–33 का दुरूपयोग कर विपक्षी के पिता के साथ की गयी बंदोवस्ती जमीन को 69 वर्ष के बाद रद्द करने के लिए अनुशंसा किया है। विपक्षी के पिता और विपक्षी यदि बंदोवस्ती जमीन पर खेती नहीं कर रहा था, तो 5 वर्ष के अंदर ही बंदोवस्ती रद्द करने का अनुशंसा करने का प्रावधान है। बंदोवस्ती के 69 वर्षों के बाद रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती को रद्द करने संबंधी अनुशंसा को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–219/रा0 दिनांक–03.04.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–परसपानी नं0–430 के गैरमजरूआ खाता नं0–104 के दाग नं0–2391 एवं दाग नं0–2140 के अन्तर्गत रकवा 03–11–14 धुर जमीन बंदोवस्ती केश नं0–06/1965–66 के द्वारा ग्राम–परसपानी के रैयत गिरधारी महतो, पे0–स्व0 उस्तम महतो, सा0–परसपानी को बंदोवस्त कर दिया गया था। बंदोवस्ती के पश्चात् स्व0 महतो के द्वारा उक्त बंदोवस्त जमीन को न तो खंडित किया गया है और न ही जोत आबाद किया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र मसुदन महतो एवं अन्य के द्वारा जोत आबाद नहीं किया गया है। तदनुसार पत्रांक–106 दिनांक–26.02.2016 के द्वारा बंदोवस्ती रद्द करने के लिए प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर हौम्योपैथिक कॉलेज परसपानी अवस्थित है तथा शेष भूमि पर कॉलेज के चहार दिवारी बना हुआ है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य है कि अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बंदोवस्तदार के द्वारा बंदोवस्ती जमीन बंदोवस्ती से 5 वर्ष के अंदर दखल में नहीं लाया गया है तथा बंदोवस्तदार की मृत्यु के बाद उनके पुत्र के द्वारा भी बंदोवस्त जमीन का जोत आबाद नहीं किया गया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा

के न्यायालय में भी दावा के संबंध में विपक्षी के द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बंदोवस्ती केन्सीलेशन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–परसपानी नं0–430 के अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता नं0–104 के अंदर रकवा 60–09–02 धुर एवं दाग नं0–2140 रकवा 13–05–07 धुर जमीन परती कदीम जमीन है। विपक्षी के द्वारा दावा किया गया है कि उक्त दाग नं0–2391 एवं दाग नं0–2140 के अंदर रकवा 03–11–14 धुर जमीन विपक्षी के पिता गिरधारी महतो को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के बंदोवस्ती केश नं01–06/1965–66 के आदेश दिनांक–29.03.1967 के द्वारा बंदोवस्ती प्राप्त है। लेकिन निम्न न्यायालय के आदेश एवं वर्तमान वाद में अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बंदोवस्ती के पश्चात् बंदोवस्तदार के द्वारा उक्त बंदोवसती जमीन को न तो खंडित किया गया और न ही जोत आबाद किया गया एवं उसके बाद विपक्षी के द्वारा भी जोत आबाद नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त दाग नं0 की जमीन पर हौम्योपैथिक कॉलेज, परसपानी अवस्थित है एवं शेष जमीन पर कॉलेज का चहार दिवारी है। इस प्रकार यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–33 के प्रावधानों को प्रभावित करता है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–33 के तहत बंदोवस्ती की तिथि से 5 वर्ष के अंदर बंदोवस्त जमीन को दखल में लेकर जोत आबाद करना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–33 के तहत बंदोवस्ती केश नं0–06/1965–66 आदेश दिनांक–29.03.1967 के द्वारा की गयी बंदोवस्ती को रद्द किया जाता है। पंजी–II एवं तसदीक सर्वे में सुधार हेतु आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पथरगामा एवं सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:51:05 +05:30
Location: 192.168.29.8